

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग,

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क के आयुक्त के कार्यालय

टाउन सेन्टर : एन- 5 : सिड्को औरंगाबाद – 431003

अधिसूचना सं 01/2009 – सीमा भुल्क (एन.टी.) (औरंगाबाद)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 33/94, सी.भा. (गै.टे) दिनांक 01.07.1994 द्वारा सीमा भुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 152 के खंड (क) के अंतर्गत प्रदत्त भावितयों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा सीमा भुल्क अधिनियम, 1962 की धारा (162 के 52) 9 के अंतर्गत 100 प्रति तत्त्व निर्यातोन्मुखी इकाई की स्थापना के सीमित प्रयोजन के लिए अतिरिक्त एम.आई.डी.सी. क्षेत्र, बा ०८ रोड, हरगुल, तालुका एवं जिला लातूर, राज्य – महाराश्ट्र, को भांडागारण केंद्र होने के रूप में घोषित करता हूँ।

फा. सं. : VIII(सीमा भुल्क)192/टी.ए./09

औरंगाबाद : 21 अगस्त, 2009

(अरुण साहु)

आयुक्त

प्रति प्रेषित :—

- 1- सचिव, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क बोर्ड, नई दिल्ली,
- 2- मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क नागपुर/पुणे/मुंबई/चैन्सी/वडोदरा/नई दिल्ली/कोलकाता/कानपुर/हैदराबाद,
- 3- महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क, नई दिल्ली,
- 4- महानिदेशक, राजस्व आसूचना, नई दिल्ली,
5. सभी आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क,
6. सांख्यिकी तथा आसूचना निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क, नई दिल्ली
7. प्रचार एवं जनसम्पर्क निदेशालय, नई दिल्ली,
8. भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, नई दिल्ली,
9. प्रबंधक मण्डल, भारत सरकार, मायापुरी औद्योगिक इस्टेट, नई दिल्ली,
- 10- सभी अपर/संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क, औरंगाबाद
11. सभी उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा भुल्क, औरंगाबाद आयुक्तालय,
- 12- मुख्यालय संगणक अनुभाग परिचालित तथा वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE**
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS:
TOWN CENTRE: N-5: CIDCO: AURANGABAD - 431 003.

NOTIFICATION NO.01/2009-CUS. (NT) (AURANGABAD)

In exercise of the powers delegated to the undersigned vide Notification No.33/1994 dated 1st July 1994 by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue New Delhi under clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962, I hereby declare the limit of Additional MIDC area, Barshi Road, Harangul, Tal.& Dist.Latur in the state of Maharashtra to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), for the limited purpose of setting up of Hundred Percent Export Oriented Units (100% EOUs).

Sd/-
(ARUN SAHU)
Commissioner

F.No.VIII(CUS) 192/TA/2009
Aurangabad, 21st Aug.2009

Copy forwarded to:

1. Secretary, Central Board of Excise & Customs, New Delhi.
2. The Chief Commissioner of Customs & Central Excise Nagpur/ Pune/ Mumbai/Chennai/Vadodara/New Delhi / Kolkata / Kanpur/Hydrabad.
3. The Director General of Inspection, Customs & Central Excise, New Delhi.
4. The Director General of Revenue Intelligence, New Delhi.
5. All Commissioner of Customs & Central Excise.
6. The Directorate Statistics and Intelligence, Customs & Central Excise New Delhi.
7. The Directorate of Publicity & Public Relations, New Delhi.
8. The Comptroller and Auditor Genera of India, New Delhi.
9. The Manager, Governemnt of India Press, Mayapuri Industrial Estate, New Delhi.
10. All Addl./Joint Commissioner of Customs & C.Ex. Aurangabad
11. All Dy/Asstt.Commissioner, Customs & C.Ex. Aurangabad Commissionerate.
12. Hdrs.Computer Section, for Circulation & publication to website.